राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/2450 जयपुर, दिनांक 30.05.2025

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : Custody, retention, inspection, supply and disposal of election records relating to general/bye election to the House of the People and State Legislative Assembly-regarding

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 4/2024/SDR/Vol. II दिनांक 30.05.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के नामांकन, जांच और नामांकन वापस लेने, चुनाव चिह्नों के आवंटन, ईवीएम की तैयारी, प्रचार गतिविधियों, मतदान, मतगणना और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया के दौरान कई रिकॉर्डिंग उपकरणों (जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, वेबकास्टिंग) के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की रिकॉर्डिंग के लिए निर्देश हैं। हालांकि चुनावी कानून ऐसी रिकॉर्डिंग को अनिवार्य नहीं बनाते हैं, लेकिन आयोग चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान आंतरिक प्रबंधन उपकरण के रूप में उनका उपयोग करता है।

2. हालाँकि, गैर–प्रतियोगियों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत सूचना और दुर्भावनापूर्ण कथन फैलाने के लिए इस सामग्री का हाल ही में दुरुपयोग किया गया है, जिसमें ऐसी सामग्री का चयनात्मक और संदर्भ से बाहर उपयोग किया गया है, जिससे कोई कानूनी परिणाम नहीं निकलेगा, जिसके कारण समीक्षा की आवश्यकता है। इसलिए आयोग, उपर्युक्त घटनाओं की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की आपूर्ति और निपटान से संबंधित अपने पिछले निर्देशों दिनांक 06.09.2024, (जो आपको विभागीय पत्र क्रमांक 9187 दिनांक 24.09.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित किये जा चुके है) को संशोधित करते हुए, निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:

"इस विषय पर जारी पूर्व निर्देशों के होते हुए भी,

2.1. सीसीटीवी डेटा, वेबकास्टिंग डेटा और विभिन्न चरणों में चुनाव प्रक्रियाओं की फोटोग्राफी को 45 दिनों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा। यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है, तो उक्त डेटा को नष्ट किया जा सकता है। यदि चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका माननीय न्यायालयों के समक्ष दायर की जाती है, तो उक्त डेटा को न्यायालय की कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक संरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा इसे नष्ट करने की अनुमति न दी जाए।

Scanned with OKEN Scanner

2.2. उपर्युक्त वर्णित ऐसे आंकड़े मूल रूप में चुनाव याचिका पर निर्णय देने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष उसके आदेश पर प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उन्हें खोला नहीं जाएगा तथा उनकी विषय–वस्तु का निरीक्षण चुनाव याचिका पर निर्णय देने वाले उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष नहीं किया जाएगा या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।"

उपरोक्त निर्देश आपके जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाकर समस्त आगामी आम चुनावों/उपचुनावों में अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/2456 जयपुर, दिनांक 30.05.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा प्रथम – ए, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, भण्डार शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, रोल्स शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, ईवीएम/वीवीपैट शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, आर.टी.आई. शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उपविधि परामर्शी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रिटर्निंग अधिकारी, 193–अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आगामी विधानसभा उप निर्वाचन, 2025 में पालनार्थ।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

By Speed Post/Email

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 4/2024/SDR/Vol. II Dated: 30th May, 2025

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

Sub: Custody, retention, inspection, supply and disposal of election records relating to general/bye election to the House of the People and State Legislative Assembly- regarding

Madam/Sir,

There are instructions of the Commission for recording of various stages of election process through multiple recording devices (e.g. photography, videography, CCTV, webcasting) during the process of nomination, scrutiny, and withdrawal of candidature, allotment of symbols, EVM preparations, campaign activities, polling, counting and declaration of results. While electoral laws do not mandate such recordings, the Commission uses them as internal management tool during various stages of electoral process.

2. However, recent misuse of this content by non-contestants for spreading misinformation and malicious narratives on social media by selective and out of context use of such content, which will not lead to any legal outcome, has prompted a review. The Commission therefore, in modification of its earlier instructions dated 06.09.2024 relating to supply and disposal of electronic recordings of the above-mentioned events, issues the following instruction:

"Notwithstanding anything in the previous instructions issued on the subject,

2.1. The CCTV data, webcasting data and photography of election processes at various stages shall be preserved for a period of 45 days. If no election petition is filed in respect of a particular constituency then the said data may be destroyed. In case an election petition is filed before the Hon'ble Courts challenging the outcome of the elections, then the said data shall be preserved till the final outcome of the Court proceedings unless its destruction is permitted by the Hon'ble Court on an application made for this purpose.

Scanned with OKEN Scanner

2.2. Such data as mentioned above, shall be produced in original before the High Court adjudicating an election petition on its order and shall not be opened and their contents shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except the High Court adjudicating the Election Petition."

3. The above instructions shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

(SANTOSH KUMAR DUBEY)
SECRETARY

Scanned with OKEN Scanner